उनवानी प्रकरणः— सरकार बनाम हनुमान

मु.न.:— ...02 /2026 | कि0मु0:— प्रार्थना पत्र | धारा 136 एल.आर. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
07.01.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी हनुमान पुत्र गोपी ब्राहमण निवासी किशनगढ़ छाहरा निवासी फरिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम किशनगढ़ छाहरा के सम्बत् 2079—2082 के खाता संख्या 8 में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम कल्लू के स्थान पर सही नाम हनुमान शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। जिसकी जांच तहसीलदार खण्डार द्वारा करवाये जाने पर तहसीलदार खण्डार से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम हनुमान है जिसे दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताबेजो एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी का सही नाम हनुमान होना अंकित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम किशनगढ़ छाहरा के सम्बत् 2079—2082 के खाता संख्या 8 में कल्लू पुत्र गोपी के स्थान पर सही नाम कल्लू उर्फ हनुमान शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी खण्डार (सवाई माधोपुर)	

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.02.03 11:54:15 IST
Reason: SelfAttested